

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण, भा०प्र०से०  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

द्वारा- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक-20/03/2026

विषय:- पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को, Turnkey आधार पर, तीन चरणों में, 250 एम०बी०बी०एस० नामांकन क्षमता एवं 5462 शैय्या वाले चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित करने हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कुल रु० 5540,07,00,000/- (रुपये पाँच हजार पाँच सौ चालीस करोड़ सात लाख) मात्र की लागत पर स्वीकृत स्कीम (योजना) अन्तर्गत निर्माण कार्य में लम्बित विपत्रों के भुगतान हेतु राशि रु० 2,75,00,00,000/- (रुपये दो अरब पचहत्तर करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं०-1377(1), दिनांक-06.12.2018 द्वारा पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को, Turnkey आधार पर, तीन चरणों में, 250 एम०बी०बी०एस० नामांकन क्षमता एवं 5462 शैय्या वाले चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित करने हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कुल रु० 5540,07,00,000/- (रुपये पाँच हजार पाँच सौ चालीस करोड़ सात लाख) मात्र की लागत पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्कीम (योजना) स्वीकृत है।

2- इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरूपेण है:-

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	राशि (रु० में)	व्ययादेश/आवंटनादेश सं० एवं दिनांक
1	2018-19	5,00,00,000 /-	सं०-88(1)ब०, दिनांक-08.01.2019
2	2019-20	200,00,00,000 /-	सं०-1360(1), दिनांक-03.10.2019
3	2020-21	69,54,00,000 /-	सं०-252(1), दिनांक-10.03.2021
4	2021-22	82,50,00,000 /-	सं०-409(1), दिनांक-16.06.2021
5	2021-22	58,45,00,000 /-	सं०-389(7), दिनांक-11.03.2022
6	2022-23	50,00,00,000 /-	सं०-89(7), दिनांक-30.06.2022
7	2022-23	4,30,57,00,000 /-	सं०-290(7), दिनांक-24.11.2022
8	2023-24	61,00,00,000 /-	सं०-196(7), दिनांक-28.08.2023
9	2023-24	9,22,00,000 /-	सं०-390(7), दिनांक-03.01.2024
10	2023-24	29,12,70,000 /-	सं०-640(7), दिनांक-14.03.2024
11	2024-25	24,00,00,000 /-	सं०-82(7), दिनांक-25.06.2024
12	2024-25	2,10,00,00,000 /-	सं०-154(7), दिनांक-29.08.2024
13	2024-25	2,12,77,00,000 /-	सं०-303(7), दिनांक-20.12.2024
14	2024-25	30,00,00,000 /-	सं०-497(7), दिनांक-10.03.2025
15	2025-26	75,00,00,000 /-	सं०-215(7), दिनांक-18.08.2025
16	2025-26	40,00,00,000 /-	सं०-351(7), दिनांक-06.10.2025
17	2025-26	30,00,00,000 /-	सं०-394(7), दिनांक-05.11.2025
18	2025-26	50,00,00,000 /-	सं०-422(7), दिनांक-03.12.2025
19	2025-26	65,00,00,000 /-	सं०-32(7A), दिनांक-28.01.2026
कुल योग-		17,32,17,70,000 /-	

3- ज्ञातव्य है कि राज्य के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण कार्य में लम्बित विपत्रों के विरुद्ध भुगतान हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से रू० 5,00,00,00,000/- (रुपये पाँच अरब) मात्र की अग्रिम की स्वीकृति का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद्, बिहार सरकार की बैठक दिनांक-29.01.2026 के मद संख्या-19 के रूप में सम्मिलित एवं स्वीकृत है। मंत्रिपरिषद् द्वारा प्राप्त अग्रिम की स्वीकृति के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-56(7A), दिनांक-30.01.2026 निर्गत की जा चुकी है।

4- उक्त परिप्रेक्ष्य में पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को, Turnkey आधार पर, तीन चरणों में, 250 एम०बी०बी०एस० नामांकन क्षमता एवं 5462 शैय्या वाले चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित करने हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कुल रू० 5540,07,00,000/- (रुपये पाँच हजार पाँच सौ चालीस करोड़ सात लाख) मात्र की लागत पर स्वीकृत स्कीम (योजना) अन्तर्गत निर्माण कार्य में लम्बित विपत्रों के भुगतान हेतु कुल राशि रू० 2,75,00,00,000/- (रुपये दो अरब पचहत्तर करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

5 (i) - उक्त राशि में से रू० 250.00 करोड़ मात्र के व्यय का वहन बिहार आकस्मिकता निधि से शीर्ष खण्ड-II-8000 बिहार आकस्मिकता निधि-मॉग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप-शीर्ष-0101-मेडिकल कॉलेजों हेतु, विपत्र कोड-8000-20-4210037890101 अंतर्गत विषय शीर्ष 53-01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में प्राप्त अग्रिम राशि से किया जायेगा।

5 (ii) - साथ ही अवशेष राशि रू० 25.00 करोड़ मात्र के व्यय का वहन मॉग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप-शीर्ष-0101-मेडिकल कॉलेजों हेतु, विपत्र कोड-8000-20-4210037890101 अंतर्गत विषय शीर्ष 53-01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में उपबंधित राशि/तृतीय अनुपूरक आगणन से किया जायेगा।

6- कार्यकारी एजेन्सी, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा योजना का क्रियान्वयन/राशि का व्यय, स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं०-1377(1), दिनांक-06.12.2018 में निहित शर्तों के आधार पर कराया जायेगा।

7- यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2880/वि०(2), दिनांक-06.05.06, 2938/वि०(2), एवं दिनांक-08.04.08 एवं 12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

8- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

9- अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी०टी०सी० फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो उक्त राशि को पी०एल० एकाउन्ट सं०-PBBPLA007 विपत्र कोड-00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID में जमा कर राशि का खर्च विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे और ससमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में तैयार कर प्रशासी विभाग को उपलब्ध कराएँगे।

10- बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे।


11- प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

12- प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0-7/बजट-46-57/2025-26 के पृष्ठ-134.../टि0 पर प्राप्त है।

13- राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक-2779/वि0 दिनांक-19.03.2026 द्वारा निर्गत शिथिलीकरण आदेश के क्रम में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। इस संदर्भ में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14- यह मात्र व्ययादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(शंभु शरण)


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-7/बजट-46-57/2025-26- 122 (7A) /स्वा0, पटना, दिनांक- 20/03/2026

**प्रतिलिपि**- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना/प्रमडलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि**:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा (दो प्रतियो में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि**:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को यथाशीघ्र ई-मेल करने के निदेश के साथ प्रेषित।

  
सरकार के अपर सचिव ।  
20

—

पत्र सं०-एम-4-10/2026.2.7.79.वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार ठाकुर,  
संयुक्त आयुक्त ।

सेवा में,

वरीय कोषागार पदाधिकारी,  
सचिवालय कोषागार,  
विकास भवन, पटना ।

पटना-15, दिनांक.19.03.26

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि की निकासी हेतु बंधज शिथिलीकरण के संबंध में।


महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के निर्माण के लिए कुल ₹1108.07 करोड़ की निकासी हेतु वित्त विभागीय पत्रांक-1354 दिनांक-06.02.2026 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश को शिथिल करने का अनुरोध किया गया है।

समीक्षोपरान्त संदर्भित प्रस्ताव के आलोक में मात्र ₹530.00 करोड़ की निकासी हेतु वित्त विभागीय पत्रांक-1354 दिनांक-06.02.2026 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश को शिथिल किया जाता है।

उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-20 के विपत्र कोड-20-4210-03-050-0103, 20-4210-01-110-0111 एवं 20-4210-03-789-0101 के विषय शीर्ष-5301-मुख्य निर्माण कार्य मद में किये गये उपबंध से विकलनीय होगा ।

विश्वासभाजन

  
(अजय कुमार ठाकुर)

संयुक्त आयुक्त

ज्ञापांक:-एम-4-10/2026.2.7.79.वि०,

पटना-15, दिनांक..19.03.26

प्रतिलिपि:-सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (संचिका सं०-07/बजट-46-43/2025-26 /25-26 में प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
संयुक्त आयुक्त